



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 400 001

Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai- 400 001

फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 मार्च 2022

**भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर**  
(जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
6 अप्रैल 2022	7 अप्रैल 2022	13,000	13,000	8,000	34,000
12 अप्रैल 2022	13 अप्रैल 2022	13,000	13,000	8,000	34,000
20 अप्रैल 2022	21 अप्रैल 2022	13,000	13,000	8,000	34,000
27 अप्रैल 2022	28 अप्रैल 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
4 मई 2022	5 मई 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
11 मई 2022	12 मई 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
18 मई 2022	19 मई 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
25 मई 2022	26 मई 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
1 जून 2022	2 जून 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
8 जून 2022	9 जून 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
15 जून 2022	16 जून 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
22 जून 2022	23 जून 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
29 जून 2022	30 जून 2022	13,000	12,000	8,000	33,000
कुल		1,69,000	1,59,000	1,04,000	4,32,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को उचित सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, यदि बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1942

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक